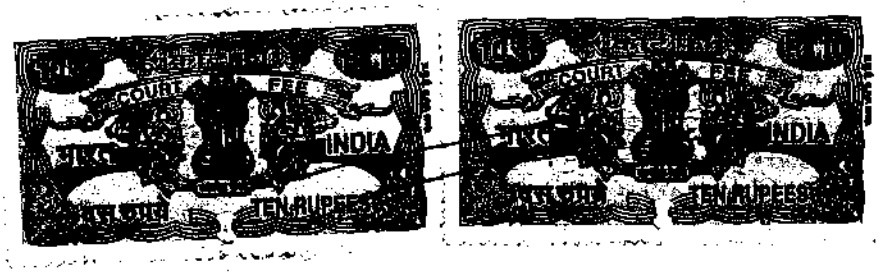

प/13

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 पुनर्विलोकन (रिव्यू) — 3771-III/13

महेश चन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री हरिचरण चतुर्वेदी आयु 63 वर्ष, निवासी ग्राम सिलरा, तहसील नरवर परगना करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

--आवेदक

बनाम

(1) पवन कुमार पुत्र अनंतराम निवासी ग्राम सिलरा तहसील नरवर जिला शिवपुरी

(2) मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार नरवर तहसील नरवर जिला शिवपुरी --अनावेदकगण

दिनांक 10-10-13 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत।
10-10-13
A.S.O

10/10/13

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51, म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 सहपठित धारा 47 नियम 1 जाप्ता दीवानी वास्ते पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 9.9.2013 निगरानी क्रमांक 3332/III/2013 व उन्वान महेशचन्द्र बनाम पवन कुमार आदि.

- -

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

(1) यह कि, पूर्व में पुनर्विलोकन कर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अपने खाता क्रमांक 122, एवं 242 के खसरा नम्बर 129/1/1, 130/1, 131/1, 132/2, 267, 268, 340, 399 के सीमांकन हेतु दिनांक 24.5.13 को चालान राशि 500/-रूपये जमाकर तहसीलदार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3771–तीन/2013 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–07–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0पी0 भटनागर उपस्थित । अनावेदक के अधिवक्ता श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । 2/ प्रकरण रिव्यु के ऑडरशीट पर सुना गया । तहसीलदार शिवपुरी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2013 में उल्लेखित है कि " प्रकरण स्थगित किया जाता है एवं मूल प्रकरण के निराकरण तक स्थगित रखा जाता है ।" मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता में दिनांक 31.12.2011 को यह संशोधन किया जा चुका है कि कोई भी न्यायालय 90 दिवस से अधिक अवधि तक स्थंगन जारी नहीं कर सकता, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2013 में मूल प्रकरण के निराकरण तक स्थगित करने का आदेश दिया है अर्थात् अवधि का स्पष्ट उल्लेख न करना संशोधित प्रावधान के विपरीत है, दूसरे शब्दों में विधि के विपरीत है । अतएव तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत रिव्यु का आवेदन स्वीकार किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रकरण में गुण–दोषों के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण करें । (के0सी0 जैन) सदस्य	